

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/रामावि/21306/2019-20

दिनांक : 06/03/2020


जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)-माध्यमिक  
सीकर/जोधपुर/जालौर।

विषय: 4 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।  
प्रसंग: शासन का पत्रांक- प. 11(1) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक 05.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 127.02 तथा 280.0 अनुपालना में 04 (संलग्न सूची) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति वित्त(व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में अग्रांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-


शर्त:-

1. क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2019-20 से प्रारंभ किये जा सकेंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
4. राउप्रावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को क्रमोन्नत रामावि में शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
5. क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत रामावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
6. शेष शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
7. यदि नव क्रमोन्नत विद्यालय में सत्र 2019-20 में नामांकन कम होता है, तो स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नव क्रमोन्नत विद्यालय से अध्यापकों के पदों का स्थानान्तरण आवश्यकता वाले विद्यालयों में किया जावे अथवा उन्हें समाप्त करवाया जावे।
8. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

  
(सौरभ स्वागी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
9. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा चुरू/जोधपुर/पाली।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, सीकर/जोधपुर/जालौर।
11. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान लक्ष्मणगढ़/फलोदी/सांचौर।
12. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

शासन के पत्रांक प. 11(1) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक 05.03.2020 के क्रम में राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नत 04 विद्यालयों की सूची

क्र. स.	जिला	ब्लॉक	विधानसभा	विद्यालय का नाम	विद्यालय का UDISE कोड	क्रमोन्नति का स्तर
1.	सीकर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	राउप्रावि जुलियासर	08130206301	माध्यमिक
2.	सीकर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	राउप्रावि झाझड	08130201501	माध्यमिक
3.	जोधपुर	फलौदी	फलौदी	राउप्रावि मेघवालों की बस्ती	08150234801	माध्यमिक
4.	जालोर	सांचौर	सांचौर	राउप्रावि सिद्धेश्वर	08180505001	माध्यमिक



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर